भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1518
12 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना के तहत परियोजनाओं की स्वीकृति

1518. श्री दिग्विजय सिंहः
श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पाँच वर्षों में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं, वर्तमान में उनके क्रियान्वयन की स्थिति सहित स्वीकृत कुल 1,601 परियोजनाओं का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और विलम्ब के क्या कारण हैं;
(ख) 15वें वित्त आयोग के तहत, घोषित की गई अतिरिक्त ₹1,920 करोड़ की धनराशि के उपयोग सहित ₹6,520 करोड़ की आवंटित धनराशि के घटक-वार उपयोग का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या किसी राज्य ने पीएमकेएसवाई के अंतर्गत अतिरिक्त निधि की मांग की है अथवा निधि की अपर्याप्तता की सूचना दी है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या जारी किये गए अतिरिक्त ₹1,920 करोड़ में से कोई निधि विशेष रूप से अल्पसेवित क्षेत्रों के लिए निर्दिष्ट की गई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) केंद्रीय क्षेत्र की एक अंब्रेला स्कीम" प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)" लागू कर रहा है। दिनाँक 31.10.2025 तक, पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक स्कीमों के अंतर्गत 1619 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है । इनमें से 1181 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं/चालू हो चुकी हैं और बाकी 438 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अलग-अलग चरण में हैं।
परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब के अनेक कारण होते हैं, जैसे कि संबंधित एजेंसियों (जिसमें राजस्व प्राधिकरण, नगर योजना, विद्युत प्राधिकरण, जल प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लाइसेन्स प्राधिकरण, आदि शामिल हैं) से कानूनी मंज़ूरी न मिलना। इससे अनुदान जारी होने में देरी होती है, क्योंकि निधि तभी प्रदान की जाती है जब कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियां पीएमकेएसवाई के अंतर्गत संबंधित स्कीम के दिशानिर्देश में उल्लिखित सभी मानदंडों को पूरा करने के बाद ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करती हैं।
गत पाँच वर्षों में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत मंजूर परियोजनाओं की राज्य-वार और वर्ष -वार जानकारी **अनुबंध-1** में दी गई है ।

(ख): 15वें वित्त आयोग चक्र के अंतर्गत पीएमकेएसवाई के अंतर्गत अतिरिक्त ₹ 1,920 करोड़ के उपयोग सहित आवंटित ₹ 6,520 करोड़ की घटक-वार निधि उपयोग की जानकारी **अनुबंध-2** में दी गई है ।

(ग) और (घ): पीएमकेएसवाई एक मांग आधारित स्कीम है और इसके लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम सभी जगहों से आवेदन मंगाए जाते हैं। पीएमकेएसवाई की किसी भी घटक स्कीम के अंतर्गत निधि को राज्य-वार आवंटित/मंज़ूर/जारी नहीं किया जाता है । मौजूदा स्कीम दिशानिर्देश के अनुसार प्राप्त प्रस्तावों की उनकी पात्रता के लिए जांच की जाती है और निर्धारित मानदंड के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है । निधियों की उपलब्धता के आधार पर पात्र प्रस्ताव को मेरिट के आधार पर मंज़ूरी दी जाती है।

*****

अनुबंध -1

"प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत परियोजनाओं की स्वीकृति" विषय पर उत्तर हेतु राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1518 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत अनुमोदित और पूर्ण परियोजनाओं की राज्य-वार और वर्ष-वार जानकारी											
क्र.सं.	**राज्य**	**2021-22**		**2022-23**		**2023-24**		**2024-25**		**2025-26**	
		ए*	**सी#**	**ए***	**सी#**	**ए***	**सी#**	**ए***	**सी#**	**ए***	**सी#**
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	1	5	25	7	11	4	0	6	3	2
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	2	1	5	0	0	0	0	0
4	असम	2	4	21	7	36	5	0	12	0	13
5	बिहार	0	1	4	0	3	0	0	0	0	2
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ	0	0	3	1	1	0	0	0	1	0
8	दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0
10	गोवा	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
11	गुजरात	0	13	18	13	4	10	0	6	2	7
12	हरियाणा	0	9	6	7	9	11	2	5	1	3
13	हिमाचल प्रदेश	0	6	1	12	4	1	0	0	0	0
14	जम्मू और कश्मीर	0	9	1	6	1	1	0	1	1	0
15	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	कर्नाटक	0	8	6	6	12	13	0	5	3	1
17	केरल	0	5	8	11	9	6	2	2	3	1
18	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	0	7	16	3	6	3	0	2	0	1
21	महाराष्ट्र	1	28	55	20	30	12	0	11	2	6
22	मणिपुर	0	0	0	1	3	0	0	0	0	1
23	मेघालय	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0
24	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	उड़ीसा	0	2	7	1	7	1	2	0	2	1
27	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
28	पंजाब	0	7	10	5	4	6	0	2	0	2
29	राजस्थान	0	4	14	3	7	2	1	2	1	2
30	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	1	12	16	8	17	17	0	5	11	7
32	तेलंगाना	0	6	10	2	23	2	0	4	1	4
33	त्रिपुरा	0	2	1	2	0	0	0	1	0	0
34	उत्तर प्रदेश	0	14	18	6	9	7	0	6	3	6
35	उत्तराखंड	0	6	8	5	4	10	1	2	0	1
36	पश्चिम बंगाल	0	7	8	2	6	6	0	1	1	4
	कुल	**5**	**157**	**258**	**131**	**215**	**117**	**8**	**76**	**36**	**65**

*ए – अनुमोदित

#सी- पूर्ण/संचालन में आ चुके प्रोजेक्ट, जिनमें पिछले वर्षों में स्वीकृत प्रोजेक्ट भी शामिल हैं।

अनुबंध -2

"प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत परियोजनाओं की स्वीकृति" विषय पर उत्तर हेतु राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1518 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

15वें वित्त आयोग चक्र के अंतर्गत पीएमकेएसवाई के अंतर्गत अतिरिक्त ₹ 1,920 करोड़ के उपयोग सहित आवंटित ₹ 6,520 करोड़ की घटक-वार निधि उपयोग की जानकारी			
क्र.सं.	**स्कीम**	**कुल आवंटित निधि (करोड़ रुपये में)**	**दिनांक 09.12.2025 तक उपयोग की गई कुल निधि (करोड़ रुपये में)**
1	एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना स्कीम	1262.8	1222.95
	50 विकिरण इकाइयों के लिए	500	116.61
2	खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना स्कीम	264.6	256.5
	100 एफटीएल के लिए	500	0
3	कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना निर्माण स्कीम	530	445.37
4	खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार स्कीम	2072	1523.41
5	ऑपरेशन ग्रीन्स	794.6	646.71
6	मानव संसाधन और संस्थान – अनुसंधान एवं विकास	31.5	15.71
7	मानव संसाधन और संस्थान – कौशल विकास	4.5	4.5
8	बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज निर्माण स्कीम	70	56.78
9	मेगा फूड पार्क	490	561.3
	कुल	**6520**	**4849.98***

* इस निधि के उपयोग में जारी की गई धनराशि के साथ-साथ चल रही परियोजनाओं के संबंध में प्रतिबद्ध देनदारियां भी शामिल हैं।